न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 45/2023
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/70

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई बैंक टावर, बान्द्रा, कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई 400051 तथा शाखा कार्यालय उदयपुर (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. श्री जतिन शर्मा पुत्र स्व.श्री मुकेश शर्मा निवासी पता सेक्टर नं 3, 150 खान्दु कोलोनी बांसवाडा (ऋणी)
2. श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी स्व.श्री मुकेश शर्मा निवासी पता सेक्टर नं 3, 150 खान्दु कोलोनी बांसवाडा (सहऋणी)

उपस्थित –
श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 07–08–2024

प्राधिकृत अधिकारी, आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई बैंक टावर, बान्द्रा, कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई 400051 तथा शाखा कार्यालय उदयपुर की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड द्वारा 1– श्री जतिन शर्मा पुत्र स्व.श्री मुकेश शर्मा निवासी पता सेक्टर नं 3, 150 खान्दु कोलोनी बांसवाडा (ऋणी) 2– श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी स्व.श्री मुकेश शर्मा निवासी पता सेक्टर नं 3, 150 खान्दु कोलोनी बांसवाडा (सहऋणी) को दिनांक 25–06–2021 ऋण करार सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:18:48 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)

LHUDP00001374083, LHUDP00001374139 से **19,00,000 एवं 83,067** ऋण राशि स्वीकृत की थी।

अप्रार्थीगण ने ऋण लेने के पश्चात् नियमानुसार उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर आईसीआईसीआई होम फायनेंस द्वारा अप्रार्थीगण का खाता सं. **LHUDP00001374083, LHUDP00001374139** को **दिनांक 03–01–2023** को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते **दिनांक 09–01–2023 तक कुल बकाया राशि 19,65,188 रू. शेष व अदेय निकलते है।** जिस हेतु तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्री जतिन शर्मा व कल्पना के स्वामित्व की जो पार्ट सी ऑफ प्लॉट नं. 150 सेक्टर 3 खान्डु कॉलोनी बांसवाडा** है को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त एवं कम्पनी मामलो के मन्त्रालय की अधिसूचना सं. एस 01282(ई) दिनांक 10.11.2003 के अनुसार **आई सी आई सी आई हॉम फाइनेंस लिमिटेड**, मुम्बई को वित्तीय संस्था माना गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **10–01–2023** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **25–06–2021 ऋण करार सं. LHUDP00001374083, LHUDP00001374139** से **19,00,000 एवं 83,067** रुपया ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 22–09–2023 को जारी किया। अप्रार्थीगणो की ओर से श्री भुपेन्द्र जैन अधिवक्ता एवं श्री विनोद नायर अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही करने से दिनांक 11.07.2024 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 का जवाब बंद किया गया। आज पेशी दिनांक 26.07.2024 को बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो एवं उनके अधिवक्ता को सायं 04.00 पी. एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 26–07–2024 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **10–01–2023** को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब नही दिया न ही कोई कार्यवाही की। इस न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थीगणो को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु अप्रार्थीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाँसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **आई सी आई सी आई होम फाइनेंस लिमिटेड** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 07–08–2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राजस्थान)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बाँसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.09.12 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested